आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 887/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

कर्नाटका बैंक लिमिटेड– पोस्ट बॉक्स नं. 599, महावीरा सर्किल, कन्कंदी, मेंगलुरू।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स जय गोविन्द इलेक्ट्रिकल्स,
2. श्री राजेन्द्र कुमार धामानी पुत्र श्री रामेश्वर धामानी प्रोपराईटर मैसर्स जय गोविन्द इलेक्ट्रिकल्स,
3. श्रीमती शर्मिला धामानी पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार धामानी प्रोपराईटर मैसर्स एस आर इण्डस्ट्रीज,
4. जय गोविन्द धामानी पुत्र राजेन्द्र कुमार धामानी,
   पताः– बी–270, जनता कॉलोनी, जयपुर।
5. मैसर्स एस आर इण्डस्ट्रीज,
   पताः– 25, नवजीवन कॉम्पलेक्स, स्टेशन रोड़, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित :–

1. श्री मनोज कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश   दिनांकः 08.02.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक **16.06.2020** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी **1.श्री राजेन्द्र धामानी एवं शर्मिला धामानी के संयुक्त स्वामित्त्व की संपत्ति शॉप नं. 25, प्लॉट संख्या 29, ग्राउण्ड फ्लोर, नवजीवन काम्पलेक्स, स्टेशन रोड, पोलोविक्ट्री सिनेमा के पास, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 302.25 वर्गफीट एवं 2. श्री राजेन्द्र धामानी एवं श्री जय गोविन्द धामानी के संयुक्त स्वामित्त्व की संपत्ति ऑफिस नं. 15, प्लॉट नं. 29, प्रथम तल, नवजीवन कॉम्पलेक्स, स्टेशन रोड़, पोलोविक्ट्री सिनेमा के पास, जयपुर, क्षेत्रफल 538.22 वर्गफीट** को बन्धक रख कर कुल राशि **05,28,57,000/–**रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक **06.04.2022** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

प्रज
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 05,28,57,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप मे अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप मे प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 05,74,18,556.13/ रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 06.04.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नही दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नही किया गया है। प्रकरण मे वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानो के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एव अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष मे बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा–14 के समर्थन मे आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 मे प्रदत्त शक्तियो के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष मे अप्रार्थीगण के स्वामित्व की बंधक संपत्ति **1.श्री राजेन्द्र धामानी एवं शर्मिला धामानी के संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति शॉप नं. 25, प्लॉट संख्या 29, ग्राउण्ड फ्लोर, नवजीवन काम्पलेक्स, स्टेशन रोड, पोलोविक्ट्री सिनेमा के पास, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 302.25 वर्गफीट एवं 2. श्री राजेन्द्र धामानी एवं श्री जय गोविन्द धामानी के संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति ऑफिस नं. 15, प्लॉट नं. 29, प्रथम तल, नवजीवन कॉम्पलेक्स, स्टेशन रोड, पोलोविक्ट्री सिनेमा के पास, जयपुर, क्षेत्रफल 538.22 वर्गफीट** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय सस्था को दिलाने हेतु संबधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एव पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक 08.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर